मैसर्स नलवाया मिनरल इण्ड़स्ट्रीज प्रा. लि., सोपस्टोन माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 23.05.2025 प्रातः 11.30 AM बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत, ग्राम–नठारा, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

आप किस किस गांव से इस जनसुनवाई में उपस्थित हुए है।

मेरा नाम श्री अम्बालाल मीणा, गांव बेडाफला

मेरा नाम श्री देवीलाल गांव बेडाफला

मैं श्री अम्बालाल, नठारा बेडाफला

बेडाफला गांव उपसरपंच

उदयपुर से आया हूं नाम श्री ललित कुमार

मेरा नाम मनीष बेडाफला

मेरा नाम देवीलाल है बेडाफला से आया हूं

मेरा नाम रूकमणी है बेडाफला से

यह जन सुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना पत्र राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 18.04.2025 एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.04.2025 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई **"मैसर्स नलवाया मिनरल इण्ड़स्ट्रीज प्रा. लि."** द्वारा प्रस्तावित **सोपस्टोन** खनन परियोजना **एम.एल.न. 71/1981** (लीज क्षेत्र 34.04 हैक्टेयर), प्रस्तावित सोपस्टोन उत्पादन क्षमता 1,11,900 TPA ROM निकटग्राम–नठारा, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 2.5 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी/डी.वी.डी. के अनुरूप कार्य वृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 03.11.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ"में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारीसाराश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारीसारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री सुयष अवस्थी एवं श्रीमति पूर्णिमा, एन.के. एन्वायरमेन्ट प्रतिनिधि :–

परियोजना की विस्तृत जानकारी जिसमें माइनिंग लीज से संबंधित जानकारी, परियोजना की लोकेषन, उप्तादन, अपषिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वायु प्रदुषण, खनन का विवरण, भूमि उपयोग, प्रस्तावित खनन विकास, प्रदुषण का आधारभूत अध्ययन, जैविक र्प्यावरण, संकल्पना परियोजना, प्रदुषण का प्रभाव एवं प्रबंधन, संचयी वृक्षारोपण, र्प्यावरण संरक्षण के साधनो पर खर्च का विवरण के साथ साथ क्षैत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

इस परियोजना में 99,490 अपशिष्ट बताये।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

सोपस्टोन है जो वो करीब 10 हजार है यहां पर जिस तरह माइनिंग की व्यवस्था है और जो जिस प्रकार के डिपोजिट है। उसके अन्दर 1 टन अगर अपन माल निकालते है अभी जो प्रजेन्ट सिचवेषन है र्प्यावरण स्वीकृति जो दी जा रही है वह उत्पादन पर न देकर टोटल एसकेवेशन है उस पर दी जा रही है तो 10 हजार टन मिनरल निकलेगा तो 99 हजार टन अपशिष्ट निकलेगा है तो आरओएम पर हमको र्प्यावरण स्वीकृति के लिए एप्लाई किया हम इसके अन्दर 1,11,900 टन उत्पादन कर सकते है जिसमें ओवरबर्डन सामिल है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

ओवर बर्डन डिस्पोज तो नहीं होगा ना वही रहेगा ना।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

ओवर बर्डन डिस्पोज तो नहीं होगा ना वही रहेगा लेकिन आजकल जिस तरह सरकार की योजना है उस तरह हम ओवर बर्डन को यूटिलाईज करने का काम और पर्यावरण को बचाने व जिस तरह ओवर बर्डन को यूटिलाईज करने की प्रक्रियाए चल रही है राजस्थान सरकार में एम सेण्ड बनाने के अन्दर तो वो जो ओवर बर्डन है उसको हम एम सेण्ड बनाने के अन्दर एम सेण्ड प्लाण्ट लगवाने के बाद भेजेंगे या फिर उसकी सिविल कार्य के परपज में यूज किया जाऐगा। जो ओवर बर्डन हम नहीं ले पाऐगे या इस काबिल नहीं होगा उस पर पेड पौधे लगाकर उसको रिक्लेम कर देंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

एक आपने दे रखा है ना इसमें प्लानटेशन का 15 हैक्टर ये 15 हैक्टर क्या माईन्स के अन्दर है।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

ये जो दे रखा है सर लीज एरिये के अन्दर ही प्लानटेशन हैं।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

एक आपने जो इसमें देखा ना प्लान्टेशन में 15 हेक्टेयर में ये क्या 15 हेक्टेयर माईन्स के अन्दर उपयोग होगा।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

ये जो दे रखा सर लीज एरियें के अन्दर ही प्लान्टेशन है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

माईनिंग एरिया के अन्दर 15 हेक्टेयर कम तो हो जाएगा। माईनिंग एरिया तो।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

बिल्कुल कम हो जाएगा। यह उस जगह किया जाऐगा जहां मिनरल उपलब्ध नहीं है, उस जगह यह पर्यावरण।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

अभी जो रेनिंग सिजन अभी नेक्सट आ रहा है माईन्स तो ठिक है जब भी शुरू होगी अभी प्लानटेशन तो शुरू किजिए एक बार ।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

5 लाख के करीब है 1 लाख ऑफिशियल खर्चा हम हर साल करेगें। टोटल 5 करेंगे। अवधि के अन्दर।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

श्री शरद सक्सेनाजी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

5 साल में पांच लाख ही है ये तो बढ सकता है जिस हिसाब से डिमाण्ड आऐगी उस हिसाब से देखना इसको।

श्रीमति पूर्णिमा, एन.के. एन्वायरमेन्ट प्रतिनिधि :–

नमस्कार सर मै यह बताना चाह रही थी कि जो 5 लाख की कॉस्ट है ये वन टाईम है एक बार लगेगी उसके बाद 1 लाख रूप्या हर साल सी एस आर के लिए प्रस्तावित किया तो वह एन्यूअल 1 लाख है और जब पब्लिक हियरिंग मे कोई इस्यू होते है तो उसके रिर्गाडिंग और आपका कोई सजेषन होता है तो उसे थोडा बढा सकते है।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

आपने जो प्रस्तावित किया है 1 लाख 5 लाख प्रोजेक्ट की कॉस्ट फिक्स है या जो आपने अपनी इच्छा से किया है।

श्री शरदसक्सेनाजी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

ये आप फिगर कहां से लेकर आए है।

श्री सुयष अवस्थी एन.के. एन्वायरमेन्ट प्रतिनिधि :–

यह हमारी प्रपोजड कॉस्ट है उसका हम 2 परसेण्ट से लेकर 4 परसेण्ट जो ब्रेकेट है वो हम ले लेते है जैसे की आज की जन सुनवाई में जैसे सी एस आर एसेसमेण्ट होता है जो सी एस आर एक्टीवीटी में कोई मरम्मत करवानी हो या फिर कोई भवन का जरनोद्वार करवाना हो अगर कोई प्रस्ताव करेगा तो हमको इसको बढाने का भी संकल्प करते है। अभी के लिए जो 5 लाख प्रस्ताव किया है और आवर्ती 1 लाख वो बढ सकती है।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

2.5 करोड का 2 परसेण्ट 5 लाख ही होता है ना।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

आप जो 2 परसेण्ट बना रहे हो ना जैसे आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का बताया।

श्री सुयष अवस्थी एन.के. एन्वायरमेन्ट प्रतिनिधि :–

ये तो प्रोफिट का 2 परसेण्ट।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

आपने जो 2.5 करोड़ बोला है ना मेड़म ने यह 2.5 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट बोली है इसका 2 परसेन्ट 5 लाख ही होता है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

श्रीमति पूर्णिमा, एन.के. एन्वायरमेन्ट प्रतिनिधि :–

एक्चूली मैम हमने देखा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का करना है या प्रोफिट का तो हम लोगो ने एक बार प्रोजेक्ट कास्ट का 2 परसेण्ट कर दिया।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

अगर आपका पूरा प्रोडेक्शन हो जाता है तो कितना प्रोफिट होता है लगभग 1 साल में।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनीप्रतिनिधि :–

हमारा प्रोडेक्शन जो है 10 हजार प्रोडेक्षन कर भी देते है तो हारडली उसमें 4 या 5 गाडी डेली जाऐगी। मेक्जीमम 4 से 5 गाडी उससे कोई लोड तो नहीं पडता है फिर भी यह कमेटमेंन्ट है हमारा द्वारा जो भी रोड डेमेज होगी उसे हम सुधारेंगे।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

एक्चूली जो रोड बनी हुई होती है ना वो इनके लिए प्रिपेयर नहीं होती है वो बसेस के लिए और अपनी जिप के लिए प्रिपेयर होती है आपकी जो केपेसिटि है वो बहुत ज्यादा हैं तो इसके प्रोविजन ऑलवेज रहने चाहिए रोड डेमेज सबसे ज्यादा वाद इसी के आते है की ओवर लॉडिंग और रोड डेमेज और गांव में कोई नाली वाली की आवश्यकता लग रही है, इन्फरास्ट्रेचर है इन्स्टीट्यूट है गवरमेन्ट इन्स्टीट्यूट है उनके लिए आलवेज प्रशासन लॉकल पंचायत वगेरा डिमाण्ड करें उसके लिए आपका फोकस रहना चाहिए सुपरविजन रहना चाहिए।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

जो भी बोलना चाहे बोल सकता है अपना नाम बताकर गांव का नाम बता कर कोई समस्या हो या सोल करा दी हो कोई प्रोब्लम हो बता सकते है। गांव में कोई काम कराना हो।

श्री अम्बालाल मीणा गांव बेडाफलाः–

2005 के अर्न्तगत यह माईन्स बंद है 1 मार्च से 3 महिने हुए इनकी माईन्स वापस चालू हुए हमने कुछ मांगे रखी थी वो पुरी नहीं हुई और 3 महिने हुए लगभग माईन्स चालु हुए वहा जो लेबर काम कर रही है उनके न तो कोई सेफ्टी है कोई सेफ्टी नहीं है दुसरी बात पंचायत ने यहा से 3 किमी. रोड है पंचायत द्वारा बनवाया गया था अब ये माल ले जा रहे है 30–40 टन भर कर के वैसे ही पर्यावरण बिगड रहा है ये मिट्टी भी उडती है और रोड भी टूट रहा है हमारा साथ में हमारे उधर खेती भी है तीन महिने हो गये भले ही लेबर को पुछ लो काम चालु है मशीने चल रही है एल एन टी चालु है कितना धुंआ उड रहा है मिट्टी घरो में जा रही है कौनसा ये पानी छिडक रहे है अभी भी खदान में जाओ बिल्कुल भूत बन जाओगें आंख बन्द करके आऐ अभी भी मिट्टी उड रही थी। तीन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

महिने ,हो गये मिट्टी उड रही है नुकसान हो रहा है हमारा हमने कुछ शर्ते रखी थी वो पुरी नहीं कि है अभी तक क्योंकि 7–8 जने मर चुके है यहा मलबे के नीचे आ कर कोई मुआवजा नहीं देते हमने यही शर्ते रखी पहले मुआवजा होना चाहिए हमारा। छोटे मोटे बच्चे है उनके बाप मर जाऐगा कौन खिलाऐगा उन्हें कम से कम इतना पेमेण्ट तो चाहिए ना 5 लाख है 10 लाख है 20 लाख है ये पहले यस करे फिर आप चालु करवाये और हमारा अभी तीन महिने के अन्दर इतने पेड पौधे उखाड के डाल दिये आप अभी जा के बता सकता हूँ चले मै आपको बता सकता हूं आप यकिन नहीं करोगे में बता सकता हूं 100 से ज्यादा पेड पौधे उखाड के डाल दिये इन्होने तो नुकसान नहीं है क्या र्प्यावरण नहीं बिगड रहा है क्या सबसे पहले माईन्स बन्द करना नहीं चाह रहे है हम लेकिन गवरमेन्ट के नियम के अनुसार चालु करेगे तो हम करने देगे ताकि हम जेल मे जाऐगे तो भी बन्द करवा देंगे। सेफ्टी होनी चाहिए हमारी लेबर है उनकी मांग पुरी होनी चाहिए और ये रोड है 50 टन भर के जाते है यहा से, रोड तो पंचायत ने करवाया कोनसी कम्पनी ने करवाया ये ब्लास्टिंग करेंगे पानी टूट रहा है बहुत ही नुकसान है

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः—

अभी आपकी माईन्स ऑपरेषन में है क्या। ये कौनसी माईन्स की बात कर रहा है ।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :—

ये रिलेवेन्ट नहीं है इसके ।

श्री अम्बालाल मीणा गांव बेडाफलाः—

2025 के अर्न्तगत बन्द कराई है अभी तीन महिने पहले चालु की है पुछ लो गांव वालो से ये संरपच साहब बैठे हुए है।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :—

सर ये जो हमारी दो माईनिंग लिज है एक नठारा – ।ए, एक नठारा – ।।।सी नठारा – ।ए 20 –25 साल से क्लॉज है 2003–04 से बन्द है और ये भी बन्द थी ये पर्यावरण स्वीकृति के अन्दर थी जिसकी र्प्यावरण स्वीकृति अभी 2024 में ही फरवरी में ग्रांट हुई । फरवरी में ग्रंट होने के बाद हमने इतने सालो से काम नहीं किया यहा पे उसमें प्रोसपेक्टिंग के तौर पर काम शुरू किया है यहां पे अभी हारडली 10 टन प्रोडेक्षन भी नहीं है हमारा पर डे, प्रोस्पेक्टिंग के तौर पर हम वर्किंग कर रहे है ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः—

आपकी ही माईन्स है ना ये दुसरी वाली माईन्स। जो ये कह रहा है।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :—

ये हमारी है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

श्री श्ररद 'सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

पेड़ 'पौधे उखड गये है उस जगह क्या है।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

ये उसी के लिए कह रहे है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

वहां से आपने पेड पौधे हटाये है क्या कुछ किया।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

वर्किंग के अन्दर कुछ पेड़ पौधे आये है झाड वगेरा वो हटाये है ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

माईन्स के अन्दर ।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

वर्किंग के अन्दर जो आये है झाड वगेरा।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

ये जो जगह कह रहे हो, पानी के छिडकाव के लिए आपने कुछ कर रखा है ।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

व्यवस्था कराऐगे सर हम ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

जो भी माईन्स आपकी अभी चल रही है ना आपकी उसमें छिडकाव की व्यवस्था करवाओ आप।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

छिड़काव की व्यवस्था हम कराऐंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

जब भी आपकी माईन्स चल रही है तो उस जगह पर छिडकाव करवाना पडेगा।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

हमे कमेण्ट रहेगा, जब भी माईन्स चलेगी। सर छिडकाव की व्यवस्था हम कराऐगे सर और आगे भी माईन्स चालु होगी तो हम करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

श्री शरद संक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

अभी आपकी माईन्स ऑपरेशन्ल है उसकी।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

ये जो इन्होने आपती उठाई है अभी जो आपकी माईन्स चल रही है जिसकी ई.सी. ग्रान्ट हुई है उसमे भी आप नोम्स के अकोरडिंग काम नहीं कर रहे है सेम इसमें भी यही होता है तो स्थितियां यही की यही रह जानी है ऐसा क्यो हो रहा है क्यो पानी का छिडकाव नहीं किया जा रहा है ।दुसरा ओवरलॉडिग का ईसु क्यो आ रहा है।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

ऑवर लॉडिग से तो में सहमत नहीं हूं इसलिए नही हूं जो ड्राईवर यहां से लोड कर के ले जाता है उससे आप पुछ लिजिए वो कितना ले जाता है वो मना तो नही कर सकता है 40 टन तो एलाउही नही है जिस गाडी को हमने यहा लगा रखा है उसकी केपेसिटी ही मिनिमम 12 टन 15 टन है उससे ज्यादा उसकी केपेसिटी नही है। और जितना भी हमने अभी ट्रांसपोर्ट किया है उसमें कोई भी गाडी आप में आपको वे ब्रिज स्लीप आपको बता सकता हूं मैक्सीमम उसमें 12 टन से ज्यादा माल नहीं गया है।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

दुसरा जो यह पानी का छिडकाव है उसमें क्या दिक्कत है।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

पानी का जो पूरा छिडकाव है टेंकर का आर्डर दे रखा है।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

तो आपको प्रोडेक्षन चालु करने की इतनी क्या जलदी है।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

इसमें थोडा टाईम लगेगा जितने हम दुसरी व्यवस्थाए पुरी कर लेगें।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

इस माईन्स को चालु करने से पहले जो मेजर्स आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेगे तो फिर कान्फिक्ट तो है हमेषा बने रहेगें ठिक है और ये ग्रामवासियो के और प्रशासन के और आपके सहयोग से ही ये सारे काम होने है और ये व्यक्तिगत हित के साथ साथ सार्वजनिक हित के काम है राष्ट्रहित के काम है तो आपकी जरा सी लापरवाही और नियमों की अवहेलना जो है वो कही ना कहीं सारी चिजो को प्रभावित कर रही है। ये सभी कोई बडी बात नहीं है पानी के छिडकाव को कोई इतना बडा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

ईसु नह्री है। आप पानी का छिडकाव कर दे और कोई केज्युअल्टी होती है तो उसका प्रोविजन आपने किया मुझे लगा नहीं वो प्रोविजन भी कर लें। अगर कोई केज्युअल्टी होती है तो उसके फेमिली के लिए फण्ड आप रखें आपने कोई प्रोविजन किया है क्या?

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

प्रोविजन तो रहता ही है मैडम ये जो है रजिस्ट्रर्ड कम्पनी है।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

अगर मान लिजिए आपकी माईन्स पर किसी की डेथ हो जाती है या एक्सीडेन्ट हो जाता है तो क्या प्रोविजन है बताये।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

इसके लिए नियम बने हुए है कम्पनी कम्पन्सेषन एक्ट बने हुए है पहली बात तो ये कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके अन्दर कानून बने हुए है कम्पनसेषन एक्ट बना हुआ तो उसके अन्दर हम देंगे ऐसा हो ही नही सकता कि हम नहीं करेगें

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

पहले कभी दुर्घटना हुई है क्या?

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

20 से 25 साल में कोई दुर्घटना नही हुई है माईन्स ही नहीं चली तो दुर्घटना कहा से होगी। पिछले 50 सालो से हम इस माईनिंग इण्डस्ट्रिज में है । हमारी देवपुर पंचपुरा माईन्स डूंगरपुर के अन्दर है और आठ माईनिंग लीज हमारे पास है हम एक रिकोगनाईज माईनिंग लीज हॉल्डर के नाम से जाने जाते है इस एरिये के अन्दर और कभी भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हमारे यहा नहीं हुई है।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

देखिये जो एक्सपिरियेन्स है जो कॉमन चिज है चाहे कोई भी माईनिंग वाले हो, सारे ईसुस भी कॉमन होते हैं रोड डेमेज होना ऑवर लॉडिंग होना, ब्लास्टिंग से आस आप की बिल्डिंग में दरारे आ जाना मोटा मोटा यहि रहता है तो आप रेप्युटेट होगें पर इन ईसुस को नकार नहीं सकते तो अब से रिजोल्व होने चाहिए, जो भी आपके माईनिंग के नियम है उनकी पालना करें और आमजन भी संतुष्ट रहे और प्रषासन भी संतुष्ट रहें।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

मैडम आपको आष्वासन दिलाते है कि ऐसी कोई भी चिज रिपिट नहीं होगी हम जो है ये काम जरूर पुरे करेंगें।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर :–

आपकी चालु माईन्स में पानी का छिडकाव नहीं किया जा रहा है तो आप एक दो दिन काम रोक दे और उसको एनस्योर करते हुए आप अपनी आगे की कार्यवाही करें। और कोई।

श्री राहुलकटारा एडवोकेट गांव–बेडाफला :–

कोई बडा काम होता है तो छोटा मोटा नुकसान भी होता है उसकी चिज अपन समझते है रोजगार आएगा तो हमारे गांव के लिए खुशी की बात है लेकिन हमारे से कोई बात नहीं की। 3 महिनें आए हुए आए। ये छुपके आए छुपके से चालु कर दी और में वहां का खुद रेजिडेंस हूं कभी इन्होने मेरे से भी नहीं पुछा हमारे माईन्स चालु कर रहे है आप 15 – 20 लोग आओ आप की कोई मांगे है क्या? बात करो इन्होने हमसे कोई संवाद करने की कोषिष ही नहीं कि आज ये कह रहे है कि हमारे सेफ्टी के ये फिचर है ये फिचर है । हमारे जो रोड बने है ये रोड है माईन्स बन्द होने के बाद यहा रोड नहीं थी हमें लोगो को जाने की दिक्कत थी तो हमारी ये मांग थी कि रोड बनवाई जाए जो ऑन रिकार्ड नहीं है इतने साल से माईन्स चल रही है कभी इन्होने रोड नहीं बनवाए कभी कोई पानी के स्त्रोत जनरेट नहीं किये साथ ही मेडिकल सुविधा भी नहीं इन्होने कोई डवलपमेन्ट नहीं करवाया और आगे क्या गारण्टी है कि ये करेंगे हमें लिखित में देवें और मजदुरी की सेफ्टी और सुरक्षा के साथ वो भी हमें बताये और राईटिंग में देवें मिनरल माईन्स के नियम बतावे ताकि कभी कोई घटना होवें तो हम आपके समक्ष पेष हो सके क्योकि माइन्से वाले अकसर अपना ही स्वार्थ साधते है जनहित में उनका कोई लुकआउट नहीं होता है तो श्रीमान इनसे आप हमें कोई एग्रीमेण्ट या लिखित मे दिलवाये व नोम्स वगेरहे ग्रम पंचायत मे देवे जिससे हम कोई कमी हो तो पुछ सकें।

श्री शरद सक्सेनाजी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

इसमे जो है आप एक दो महिने में एक मिटिंग कर ले जिससे कोरडिनेषन रहे सवाल हो सके वो तो आप कर सकते है सरपंच साहब तो है ही यहां पर यहा के कुछ लोग है जो कर लेवें कोई षिकायत हो तो बताये रोजगार किसको दे रहे है प्लान्टेशन करना वो भी बतायें कोई यहा का काम करना है तो भी बताये

श्री राहुल कटारा एडवोकेटगांव–बेडाफला :–

ओर सर क्लाईमेट का विषेष ध्यान रखें। इन्होने पहले भी कोई पौधे लगवाये नहीं है पर्यावरण के साथ हर बार खिलवाड ही किया है ।इन्होने वहा पर निलगिरी के पेड लगवाये है जो कोई भी नही लगवाता है जो पानी को कम करता है एक तो सरकार एन्वायरमेन्ट के पीछे पागल है न जाने कितने अरबो खरबो के प्रोजेक्ट लगाते है आज कह रहे है हमने ये किया वो किया गांव में कुछ किया तो बताए हमें इनके रिकोर्ड में सब चीज मेन्शन है हमने ये करा वो करा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

श्री शरद सक्सेनाजी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

अभी तो क्या है ये माईन्स स्टार्ट हो रही है अभी तो शुरूवात करते है फिर ये आपसे कोरडिनेषन भी रखेगे और इस सिजन प्लान्टेशन भी करवाओं। कुछ इनकी बताई जगह पर भी करवाओं वो भी आपके उसमें ही काउण्ट होगें।

श्री राहुल कटारा एडवोकेटगांव–बेडाफला :–

बस ये इन्वारमेन्ट का ध्यान रखे और जनहित में कार्य करे हमें इनसे कोई वो नहीं है धन्यवाद।

श्री शरद सक्सेनाजी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

ओर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है।

श्री देवीलाल कटारा उप सरपंच :–

माईन्स जब चालू हो रही थी तो हमने कुछ मांगे रखी थी वो आजतक लागु नही हुई और जो लेबर का जो पेमेण्ट हमने 700 रूपये रखा था 350 ही आ रहा है । मैने इनसे पैमेण्ट शीट मांगी वो भी नहीं है तो हमारी मांग है लेबर की रेट 500 से 550 होनी चाहिए।

श्री देवीलाल कटारा ग्रामीण गांव बेडाफला :–

मेरा कहना है कि माईन्स के उपर कोई कचरा खेत में भी नहीं आना चाहिए, खेत में धुआ भी नहीं आना चाहिए, पानी का छिडकाव भी होना चाहिए और लेबर की रेट आ रही है 330 रूपसे जब बजार मे लसण लेने जाते है 1 किलो 500 रूप्ये लगते है ये कौनसी रेट होती है जब बजार मे लसण लेने जाते है 1 किलो 400 रूपये लगते है तो क्या खिलाएगे पिलाएगें 350 में हा ये बताओ ये कौनसी रेट होती है। इसी गली में सबसे पुछो 330 रू. दे रहे है कौनसी रेट थी यें जब हमने रेट लिखी थी 500, 600, 700 लास्ट लिखी थी इस माईन्स के बारे में न तो पानी छाट रहे है न कुछ हमारे गांव की बरबादी हो रही है नुकसान हो रहा है खेत में पुरा सोपस्टोन उतर रहा है खेत मे जा रहा है उसमें कोई अनाज पेदा नहीं होता है ये भी बोल रहा हूं मैं आपसे ये निवेदन है जो हमारी ये मांग है जो माईन्स में रेट लेबर काम कर रही है जो रेट है वो होनी चाहिए तो माईन्स अच्छी चलेगी नहीं तो ऐसेइज रहेगी ये बोल रहा हूं मै।

श्री अम्बालाल मीणा गांव बेडाफला :–

कोई दुसरी जगह खरिद कर वहां डालो देवीलाल कह रहा है सहि है खेती करने लायक नहीं रहेगी जमीन हमारी जो माईस अभी चालु है जो माईन्स पे कटाव होगा पुरा हमारे खेत मे आऐगा । और एलएनटी लगी है कितना मलबा वहा से ये जगह खरीद कर मलबा वहा डालो मलबा हमारे खेत में नी आवें।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

ऑवरबर्डन के नीचे गारलैण्ड ड्रेन बनाकर पानी के बहाव को व्यवस्थित किया जाऐगा एवं किसी भी परिस्थिति में खेती को खराब नहीं होने दिया जाऐगा हम आष्वासन देते है।

श्रीमती रेशमा मीणा गांव बेडाफला :–

हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए एवं रेट भी पूरी होनी चाहिए।

श्री फूलशंकर मीणा भूतपूर्व सरपंच नठारा :–

सोपस्टोन खनन परियोजना माईन्स नलवाया मिनरल ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम मे पधारे हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब सरपंच साहिबा एवं र्प्यावरण विभाग से पधारे हुए आर ओ साहब विभाग के कमचारी स्टाफ हमारे स्थान की जो माईन्स करिब 50 साल से चल रही थी परन्तु पर्यावरण विभाग से 20 –25 साल बन्द रहीं आज इस जन सुनवाई में पधारे हुए ग्रम पंचायत की ओर से मेरी मांग यही है स्थानीय जो श्रमिक लग रहे है उनकी एक कमेटी बनायी जावे कमेटी के माध्यम से स्थानीय लोगो की जो मांग है वो वाजिब रेट के हिसाब से आज के न्यूनतम मजदुरी के हिसाब से मिले । हमारी स्थानीय जनता की मांग है दुसरी इनका जो भी पी. एफ. फण्ड कम्पनी से मिलता है तो उनके जीवन की सुरक्षा के लिए दुसरी बात ये है कि कम्पनी की ओर से इनका 20 –20 लाख का बीमा हो ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है उस समय स्थानीय श्रमिक को बीमा कम्पनी से राहत मिल सकें। गुजरात में यह पॉलिसी चल रही है राजस्थान में भी चल गई है माईन्स की जो गाईड लाईन है उसके मुताबिक बीमा अनिवार्य है स्थानिय श्रमिक ने जो भी मांग उठायी है एवं आप ने जो अभी गाईड लाईन दी है उस माईन्स को चारो तरफ से बाउण्ड्री लाईन कर देवें और जो माल डेमेज है उसके स्टोरेज के लिए भूमि आवंटन करावें या खराब माल वहीं स्टोर करें ताकि वो बरसात में बहकर कृषि भूमि को बंजर नहीं बनावे। चौथी बात आप ने छिडकाव की बात की है यह मांग हमने उस वक्त भी रखी थी तब भी आापने काम पूर्ण रूप से चालु नहीं करा फिर भी अनुरोध है कि आप इस बरसात में जो भी रोड़ आपका है उस रोड को सही करवाये आपका माल जाएगा कुछ भी हो गया तो माईन्स जिम्मेदार है क्योकि मैने जो रोड ग्रम पंचायत ने बनाया है वह अपूर्ण है मरम्मत योग्य है आपके भारी वाहन जाऐगे तो रोड क्षति ग्रस्त हो जाऐगा इसी के साथ ही आपका जो स्टाफ है गवरमेन्ट विभाग से डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए तो कोई अप्रिय घटना हो जाऐगी तो उस समय हमें जन प्रतिनिधि को स्थानीय जनता को ओर प्रशासन को काफी कठिनाई का सामना करना पडता है इन्ही शर्तो के साथ में पुनः ग्राम पंचायत नठारा की ओर से आप सभी पधारे हुए आभार वयक्त करता हूं एवं मेरी बात यही समाप्त करता हूं।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

एडीएम साहिबा, आर ओ साहब नलवाया मिनरलस के ऑनर श्री राजकुमार नलवाया श्री पुष्पेन्द्र कुमार नलवाया सरपंच साहब एवं सरपंच साहिबा सबसे पहले तो में आप को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं आप सब यहा पर पधारे एवं अपने सुझाव हमें दिये जहां तक सरपंच साहब ने जो बात

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

कही है कि साहब जो भी कार्य किया जावे वो कमेटी बनाकर किया जावे मै सरपंच साहब को आसवाशन दिलाता हूं कि हम जो भी कार्य करेगें बिल्कुल आपकी सहमति लेकर ही करेगें आप निश्चित रहिए दुसरी बात जो ग्रामवासी वहा पर लेबर है उसकी आपने बीमा की बात कही ये हमारी रजिस्ट्रर्ड कम्पनी है हमें कोई दिक्कत नहीं है जो भी यहां काम करेगा ग्रुप इन्श्योरेन्स के अन्दर बीमा करवाते है और बीमा करवाऐगें इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं और दुर्घटना का सवाल है पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करते है कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो और अगर दुर्घटना होती है तो जो भी नियमानुसार कम्पनसेशन हम देंगे। इसमें किसी तरह की कोई कोताई नहीं बरतेगें। हम आपको आश्वासान दिलाते है तीसरी बात आपने कहा कि जो मटेरियल वहा रखा हुआ है वो बरसात मे पानी आने से खेती खराब हो सकती है तो हम आपको यह आश्वासन दिलाते है जो मटेरियल वहा पर रखा गया है उससे अगर पानी होकर आऐगा उसके पहले हम ड्रेन बनाऐगे यह आपको आश्वासन देते है पानी को एक तरफ करेगे आपकी खेती को खराब करने की न तो इच्छा है क्योंकि आपकी खेती भी हमारी ही खेती है तीसरी बात जो जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि जो रोड बनी हुई है उस स्टेण्डर्ड की नहीं है कि हमारे व्हीकल जाऐ अगर इससे कोई डेमेज होता है तो सरपंच साहब हम उसको ठिक करवाऐगें। दुर्घटना होने को ऐसा कोई प्रष्न नहीं है हमारे ड्राईवर को पूरा इन्सट्रेक्षन देंगे स्पीड कन्ट्रोल करेंगे। ओवरलोड कन्ट्रोल करेगें ये सब चिजे हम करेगें और जो भी डेमेज इससे होगा उसका सुधार करेगें। आप ने बोला की माईन्स में डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए ये तो हम करेगें क्योकि हम माईन्स एक्ट के अन्दर कार्य कर रहे है एवं माईन्स एक्ट के जो भी प्रावधान है कि किस क्षमता का प्रमाण पत्र जैसे कि फोरमेन सट्रिफिकेट, मैनेजर सट्रिफिकेट इसको लगाए बीना हम माईन्स ही नहीं चलाऐगे यह स्टेच्यूरी प्रोविजन है उसके साथ जो माइनिंग मेट है वो भी लगाऐगें यदि यह स्टॉफ स्थानीय एवलेबल होगा तो लगाऐगे नहीं तो बाहर से लाऐगें। कटारिया साहब ने जो भी कहा कि 1960 की लीज है आपने आज तक क्या विकास किया उस वक्त कि परिस्थितिया अलग थी आज कि जो परिस्थितया अलग है अभी अपन मेकेनाईजड माईनिंग ऑपरेषन से कार्य करते है पहले लेबर से कार्य किया जाता था अभी जो लेबर है वो सिर्फ सोरटिंग का कार्य करती हैं। ब्लास्टिंग से जितने भी कोस्चन आऐ उसका जवाब देना चाहता हूँ मेरा भी 48 साल का एक्सीपरिएशन है ब्लास्टिंग करने का हम जो भी ब्लास्टिंग करेगे कम ही करेगें ज्यादा नहीं करेगें। जिस तरह का यह डिपाजिट है बडी ब्लास्टिंग की आवष्यकता नहीं है पहले के मेथड ऑफ वर्क और अभी के मेथड ऑफ वर्क में बहुत फर्क है पहले सभी लेबर से कार्य करते थे अभी मेकेनाईज्ड है । जो भी हम ब्लास्टिंग करेगे वो छोटी ब्लास्टिंग करेगे उसमें किसी तरह का ग्राउण्ड वाइब्रेषन नहीं होगा किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा। नियंत्रित ब्लास्टिंग करेगें यह हमारा आष्वासन है। यहां कि रॉक में रॉक ब्रेकर का यूज होता है और ब्लास्टिंग को हम कम करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सलूम्बर (राज.)

श्री देवीलाल कटारा ग्रामीण गांव बेडाफला :–

लेबर सब बैठी है आप दुसरी दुसरी बात कर रहे हो हमारी लेबर की रेट का क्या हुआ। लेबर की बात भी साथ में होनी चाहिए।

सैयद मकबूल अहमद, कम्पनी प्रतिनिधि :–

देखिए आप जो रेट की बात कर रहे है मैने कह दिया ना। जो सरकार के द्वारा रेट डिसाईडेड है वो ही दी जाऐगी।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

देखो ऐसा है रेट की कोई समस्या है तो आप मैडम को ज्ञापन दे सकते है ये पर्यावरण की जनसुनवाई है । आप सभी पधारे का बहोत बहोत धन्यवाद जय हिन्द ।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय का बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सलूम्बर (राज.)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जिला–सलूम्बर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., उदयपुर

संलग्नक : 1

मैसर्स नलवाया मिनरल इण्ड्रस्ट्रीज प्रा. लि., सोपस्टोन (एम.एल.न. 71/1981, क्षैत्रफल– 34.04 हैक्टेयर) प्रस्तावित सोपस्टोन उत्पादन क्षमता 1,11,900 **TPA** निकट ग्राम– नठारा, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 23.05.2025 को प्रातः 11.30 **AM** बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत, ग्राम–नठारा, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	राजलक्ष्मी गहलोत	अति जिला कलेक्टर, सलूम्बर	[signature]
2	शरद सक्सेना	RO RSPCB Udaipur	[signature]
3	R.K Nalwaya	नलवाया मिनरल्स P.P.	[signature]
4	लीला	नठारा सरपन्च	लीला
5	PushPendra Nalwaya	नलवाया मिनरल उदयपुर	[signature]
6	Purnima Panwar	EESPL - Jaipur	[signature]
7	Suyash Awasthi	EESPL - Jaipur	[signature]
8	C.P. Jeengar	RSPCB Udr	[signature]
9	सैय्यद मकबूल अहमद	नलवाया मिनरल्स इण्डस्ट्रीज	Maqbul
10	राजेन्द्र कुमार मीणा	नि. बलुंआ पंचायत राज VDO	[signature]
11	फूलशंकर मीणा पूर्व सरपंच	नठारा	[signature]
12	रामलाल	बेडा	
13	धनराज मीणा	राजस्व विभाग पटवारी	[signature]
14	देवीलाल मीणा	उपसरपंच नठारा	[signature]
15	अम्बालाल	बेडा नठारा	[signature]
16	लक्ष्मण लाल मीणा	माण्डली नठारा	[signature]
17	वेनाराम मीणा	माण्डली नठारा	
18	सोहनलाल मीणा	बेडा नठारा	
19	अम्बालाल	बेडा नठारा	[signature]
20	पूनमचन्द मीणा	कन्या का खेड़ा	[signature]
21	ललित मीणा	सेमर	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	ईकरा	करमातालाब	ईकरा
23	गोकुलाल	नठारा (बेड़ा)	बाबु
24	कान्ति लाल	नठारा (बेड़ा)	कान्ति
25	देवीलाल	नठारा	देवीलाल
26	[illegible]	नठारा बेड़ा फला	[illegible]
27	जीवली	—	जीवली
28	मन्जु	—	मन्जु
29	काउडी	नठारा बेड़ा फला	रेशमा
30	रेशमा	नठारा	अनिता
31	अनिता	नठारा	सुशीला
32	सुशीला	नठारा बेड़ा	सुशीला
33	शंकर लाल	नठारा बेड़ा फला	शंकर लाल
34	Jaswant	Udaipur	Jaswant
35	Pumlesh		[illegible]
36	रोशन	उदयपुर	रोशन
37	लक्ष्मण		लक्ष्मण
38	सुरेश टेलर	सलूम्बर	[illegible]
39	राकेश डामोर	उदयपुर	[illegible]
40	राजेश मीणा	सलूम्बर	[illegible]
41	रेवा	बेड़ा फला	रेवा
42	ब्यावरा	बेड़ा फला	ब्यावरा
43	देवीलाल मीणा	बेड़ा फला	देवीलाल
44	लालशंकर मीणा	बेड़ा फला	लालशंकर मीणा
45	विनोद मीणा	बेड़ा फला	विनोद
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	प्रकाश मीणा	बेड़ा फला	प्रकाश

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
48	अमीत मीणा	बेडा फला	अमीत
49	नरेश	उदयपुर	[illegible]
50	लक्ष्मण लाल मीणा	बेडा फला	Laxman
51	राहुल कटारा	बेडाफला	[illegible]
52	प्रकाश चन्द	डायरी	[illegible]
53	Kunal Naluraya	NMIPL	[illegible]
54	Dhruv Naluraya	NMIPL	Dhruv
55	लक्ष्मीलाल	उदयपुर	[illegible]

ज्योति

PG08

विद्यार्थियों को जलाशयों और परिंदों के बारे में जानकारी दी ...

ड़ा » मेनार » खेरोदा » खेरवाड़ा » बांसड़ा » कालीभींत » फतहनगर » ऋषभदेव » कल्याणपुर » सेमारी

ंघ का मंगल प्रवेश

प्रक्षालन कर मुनि संघ की मंगल अगवानी की।

में पहाड़ी पर रात्रि विश्राम
स समय कुछ गुरुभक्तों
होकर मामादेव में संत
करने का बीड़ा उठाया।
में दानदाताओं ने बढ़
किया। जिससे जगत और

उदयपुर के बीच मामादेव में जैन संतों के प्रवास के लिए संत भवन का निर्माण हुआ। संतभवन निर्माण के बाद गुरुवार को पहली बार दिगंबर जैन मुनि संघ का मंगल प्रवेश और आहारचर्या देखकर सभी गुरु भक्त आनंदित हो उठे।

ाध्यक्ष पालीवाल ने जनसुनवाई में दिया ज्ञापन

कांग्रेस उपाध्यक्ष
स्तरीय जनसुनवाई
समस्याओं को
कि उन्होंने पूर्व
स्याओं को लेकर
ज्ञापन सौंपा था
नहीं किया गया।
उपखंड स्तरीय
गुंदा विधानसभा
दर्ज करवाई और
यत दर्ज करवाने
हीं हुआ इसलिए

पुनः गुरुवार को ज्ञापन दिया। इस मामले में गोगुंदा उपखंड अधिकारी शुभम भैसारे ने पालीवाल की शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी ओर आश्वासन दिया कि उनकी जो भी पंजीकृत समस्याएं है उनका जल्द निस्तारण करवाया जाएगा। देहात कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पालीवाल ने पूर्व में जनसुनवाई में नरेगा में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने, पेयजल की समस्या, जल जीवन मिशन के तहत अधूरे पड़े कामों को शीघ्र पूरा कर नल व्यवस्था सुचारू करने, बिजली कटौती की समस्या, जसवंतगढ़ से सायरा सड़क को जल्द पूरा करने सहित कई समस्याओं के लिए जिला कलक्टर और एसडीएम को ज्ञापन दिए थे।

भीम | LiFE

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई–मेल rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः– मैसर्स नलवाया मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., एम.एल.न. 71/1981 (क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) "सोपस्टोन", ग्राम–नठारा की पाल, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नलवाया मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., एम.एल.न. 71/1981 (क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) "सोपस्टोन", ग्राम–नठारा की पाल, तहसील – सराड़ा, जिला–सलूम्बर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माईन (एम.एल.न. 71/1981, क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,11,900 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैः–

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, सलूम्बर
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए–216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना बुंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सलूम्बर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील– सराड़ा, जिला– सलूम्बर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ–470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 23.05.2025 (शुक्रवार) को प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत नठारा, तहसील–सराड़ा, जिला–सलूम्बर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 350556

माही रिटर्न मासिक भुगतान योजना
(क्यू.आर.एम.पी)

मिल करने
ा सौंपा

ात बनाने को लेकर
ो सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन सौंपा और बताया कि मोहिनी जनसंख्या 479, नापा देवी की 189, रवास की 336, अजयपुरा की , खुडा की 210, धुली भाखरी की और वांगली की 511 है। ऐसे में इन गांवों को मिलाकर मोहिनी को ग्राम यत बनाया जा सकता है। इन सभी के ग्रामीण भी मोहिनी में शामिल के लिए सहमत है। ग्रामीणों ने मांग है कि इन सभी गांवों को जोड़ने से पंचायतों के पुनर्गठन में भी कोई नहीं पड़ेगा। अतः मोहिनी को नई पंचायत बना दी जाए।

ा सड़कों
मुश्किलें

प्रयास किया गया था, लेकिन सफाई न होने के कारण पाइप में कचरा जमा हो गया है। इससे सड़क पर गंदा पानी फैला रहता है। कुछ लोग अपने घर के बाहर और चौक को बेवजह धोते हैं, जिससे पानी और गंदगी सड़क पर फैल जाती है। मोहल्लेवासियों ने इस पर कई बार आपत्ति जताई है, और इस मुद्दे को लेकर झगड़े भी हो चुके हैं। नगरपालिका की अनदेखी से मोहल्लावासी परेशान हैं, और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। पूर्व में भी नाली विवाद को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ।

प्रधानाचार्यों की वाकपीठ सम्पन्न, सेवानिवृत्त शिक्षकों को किया सम्मान

झल्लारा। प्रधानाचार्य उमावि की सत्रांत वाकपीठ गुरुवार को सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में ब्लॉक के 360 प्रधानाचार्य शामिल हुए।

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सीबीईओ परितोष शर्मा थे। अध्यक्षता डॉ. गोविन्द सिंह शक्तावत ने की। उद्घाटन के बाद वाकपीठ उपाध्यक्ष व नोडल प्राचार्य भगवान लाल त्रिवेदी ने केजीबीवी संचालन, विद्यालय विकास और व्यावसायिक शिक्षा योजना पर विशेष वार्ता दी। इस दौरान सत्र 2024-25 में सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्यों को स्मृति चिह्न और अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य खण्डेलवाल, राम सिंह, मनोहर, नेहा जैन, सीबीईओ कार्यालय के उमंग, राकेश और नरेन्द्र उपस्थित रहे। इसी अवसर पर अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भैरोसिंह चौहान का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव यशवंत मेहता, प्राचार्य रा.उ.मा.वि. भटवाड़ा ने किया। इस मौके पर व्याख्याता केशव मीणा और उपप्राचार्य पद पर पदोन्नत अरविन्द भारद्वाज का भी सम्मान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन वाकपीठ उपाध्यक्ष महावीर मीणा आमलना ने किया।

हमेरापुरा को भोपाखेड़ा पंचायत में ही रखने की मांग

केदारिया | हमेरपुरा ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा भींडर के ग्राम वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की कि हमेरपुरा भोपाखेड़ा पंचायत में है, लेकिन राज्य सरकार की पंचायत पुनर्गठन एवं नवीन ग्राम पंचायत निमाड़ी में शामिल करने की मंशा है, जो गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी है। बीच में एक और ग्राम पंचायत कुंथवास है। समस्त ग्रामवासियों की मांग है कि हमको नवीन पंचायत में शामिल नहीं किया जाए। हम वर्तमान ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा में ही रहना चाहते हैं। ज्ञापन देने वालों में वर्दी शंकर, दल्ली चंद, कमला शंकर, भगवती लाल मेघवाल, किशनलाल अहीर, दिलीप सिंह, रमेश, लालूनाथ, भंवरलाल अहीर, जगदीश, नारायण लाल, किशन सिंह, विनोद आदि शामिल थे।

वरदान महावीर ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने मनाया रजत जयंती

ऋषभदेव | वरदान महावीर ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महावीर मॉर्डन पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव 'धरोहर' का आयोजन किया। इसमें प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने की। मुख्य अतिथि खेरवाड़ा विधायक डॉ. दयाराम परमार,पूर्व विधायक खेरवाड़ा नानालाल अहारी, भाजपा नेता डॉ. जिनेंद्र शास्त्री, विशिष्ट अतिथि मुकेश श्रीमाली, राजकुमार शक्तावत, सोमेश भाणावत, किरण जैन थे। विद्यालय के संस्थापक सुंदरलाल जैन, प्रधानाचार्य मीनाक्षी जैन एवं प्रदीप कुमार यादव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन निदेशक विकास जैन, सौरभ जैन, किर्तेश जैन, लविश जैन, एकेडमिक डायरेक्टर सुरेंद्र जैन, उपप्रधानाचा श्वेता जैन, संयोजक डॉ. दिल भाणावत, जयदीप सेवक, जि व्यास, विनीत भंडारी, रज कोठारी ने किया। कार्यक्रम का मुख आकर्षण डीआईडी लिटिल मास्टर की विजेता वैष्णवी पाटिल और डांस दीवाने 2 के विजेता विशाल सोनकर की विशेष प्रस्तुतियां रहीं।

शीतल जल मंदिर का किया शुभारंभ

खेरोदा | जैन सोशल ग्रुप मेन के बैनर तले गर्मी को देखते हुए आम नागरिकों के लिए शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुनीता अशोक कुमार कूकड़ा ने पिता मोहनलाल की स्मृति में जैन मंदिर के पास शीतल जल मंदिर स्थापित किया। उद्घाटन मेवाड़ रीजन चेयरमेन अरुण मंडोत ने किया। कार्यक्रम में आशुतोष सिसोदिया सचिव मेवाड़ रीजन, ख्याली लाल सिसोदिया, शांतिलाल मेहता, कमल कोठारी, अशोक नागौरी, अनिल चपलोत, केएस नलवाया, गौतम नागौरी, नरेंद्र सेठ, अशोक कूकड़ उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः— मैसर्स नलवाया मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., एम.एल.न. 71/1981 (क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) "सोपस्टोन", ग्राम—नठारा की पाल, तहसील—सराड़ा, जिला—सलूम्बर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नलवाया मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., एम.एल.न. 71/1981 (क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) "सोपस्टोन", ग्राम—नठारा की पाल, तहसील — सराड़ा, जिला—सलूम्बर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माईन (एम.एल.न. 71/1981, क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,11,900 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकिंत कार्यालयों पर उपलब्ध हैः—

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, सलूम्बर
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए—216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना बुंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सलूम्बर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील— सराड़ा, जिला— सलूम्बर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ—470, मेवाड औद्यौगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 23.05.2025 (शुक्रवार) को प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत नठारा, तहसील—सराड़ा, जिला—सलूम्बर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी